

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 1998 (श्रावण 6, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

(क) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 1998 (क्रमांक 1 सन् 1998)

(ख) मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (क्रमांक 2 सन् 1998)

(ग) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 1998 (क्रमांक 3 सन् 1998)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 29 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16-4-97-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर, 1997 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रामजी महाजन, जेल मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 18 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1026-97-चौवन-1-490, दिनांक 24 अप्रैल, 1998 पटल पर रखेंगे.

4. मार्च-मई, 1998 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना .

5. नियम 267-क के अधीन मार्च-मई, 1998 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम खपराझिरी में नक्सलवादियों की गोलीबारी से पुलिस अधिकारियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के कृषकों से क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का सहकारी समितियों द्वारा भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

8. सभापति तालिका की घोषणा .

9. वक्तव्य

(1) श्री नन्द कुमार पटेल, राज्यमंत्री गृह, दिनांक 25 मार्च, 1998 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 158) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, दिनांक 30 अप्रैल, 1998 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्रमांक 5713) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अशोक राव, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 17 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

11. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घण्टा 30 मि.

प्रदेश में हैजा, मलेरिया, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, गलघोटू आदि संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, बृजमोहन अप्पवाल, चिरोजीलाल सोनकर, सुरेन्द्र वर्मा, नेमीचन्द्र जैन, रणजीत सिंह गुणवान, गिरिराज मण्डलोई, कमल पटेल, श्री मुनिराम साहू, लक्ष्मीकान्त शर्मा, रामलखन सिंह (त्यौंथर), सोनेराम कुशावाह, चन्द्र प्रकाश बाजपेयी तथा श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठावेंगे.

भोपाल :

दिनांक 27 जुलाई, 1998

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

श्री अशोक राव के विचार के क्रमांक 17 सन् 1998, भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1998 के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

श्री नन्द कुमार पटेल के विचार के क्रमांक 158, गृह विधेयक, 1998 के संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

Handwritten mark

Handwritten mark